

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/

दिनांक

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. शिम्पाराम पुत्र रूगनाथराम जाति कुम्हार 2. भगाराम पुत्र रूगनाथराम जाति कुम्हार 3. ईश्वरराम पुत्र रूगनाथराम जाति कुम्हार 4. पूनमाराम पुत्र रूगनाथराम जाति कुम्हार निवासीयान चौकडियों कि ढाणी तह. पचपदरा जिला बाड़मेर		1. निम्बाराम पुत्र जीया जाति कुम्हार निवासी मेकरणा 2. पुरखाराम पुत्र जीया जाति कुम्हार चौकडियों कि ढाणी 3. चेनीदेवी पत्नी चौखाराम जाति जाट चौकडियों कि ढाणी 4. बाबूराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी भोजासार 5. खेताराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 6. किरताराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 7. कानाराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 8. पनाराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 9. हरतीमल पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 10. रणछोडाराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार 11. मोटाराम पुत्र अमराराम जाति कुम्हार 12. रावताराम पुत्र अमराराम जाति कुम्हार 13. हिमताराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार 14. झीमोदेवी पत्नी जेठाराम जाति कुम्हार 15. गोरधनराम पुत्र भलाराम जाति कुम्हार 16. चतराराम पुत्र भलाराम जाति कुम्हार 17. चेनाराम पुत्र भलाराम जाति कुम्हार 18. अचलाराम पुत्र भलाराम जाति कुम्हार 19. मूलीदेवी पत्नी भलाराम जाति कुम्हार 20. हीराराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार 21. देदाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार 22. लुम्बाराम पुत्र पेलादराम जाति प्रजापत 23. लेखाराम पुत्र पेलादराम जाति प्रजापत 24. भीमाराम पुत्र पेलादराम जाति प्रजापत 25. नेनूदेवी पत्नी विरधाराम जाति प्रजापत 26. केराराम पुत्र विरधाराम जाति प्रजापत 27. भटाराम पुत्र विरधाराम जाति प्रजापत 28. धुडाराम पुत्र हरजीराम जाति प्रजापत 29. चौथाराम पुत्र करनाराम जाति प्रजापत 30. सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन तह. पचपदरा जिला बाड़मेर 31. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार पचपदरा

मुकदमा नंबर 133/2020

आदेश

दिनांक

उपर्युक्त प्रकरण मौजा चौकडियों कि ढाणी पटवार हल्का गोल सोढा व भू अभिलेखा निरीक्षक क्षेत्र दुधवा में खसरा नंबर 215/94 रकबा 30 बीघा खसरा नंबर 218/94 रकबा 33.04 बीघा किस्म बारानी दोयम सहरद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें

(श्री नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

दिनांक

क्रमांक /रीडर/ 2021/

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना को पालना हेतु
3. पटवारी चौकडियों कि ढाणी पटवार क्षेत्र गोल सोढा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर जकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करवावे।
4. प्रार्थीगण शिम्पाराम पुत्र रूगनाथराम जाति कुम्हार
5. विप्रार्थीगण निम्बाराम पुत्र जीया जाति कुम्हार निवासी मेकरणा

(श्री नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा